

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम  
सैलाना रोड, ग्राम बंजली, रतलाम (म.प्र.) 457001

कार्यालय दूरभाष नंबर :- 07412-284226

ईमेल:- [deanratlam@gmail.com](mailto:deanratlam@gmail.com)

वेबसाईट :- [www.gmcratlam.org](http://www.gmcratlam.org)

सह-चिकित्सीय स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र  
स्ववित्त-पोषित पाठ्यक्रम



निर्देशिका एवं आवेदन पत्र  
शैक्षणिक सत्र 2020-21

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम  
सैलाना रोड, ग्राम बंजली, रतलाम (म.प्र.) 457001

**डॉ.शशि गांधी**

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
शा.स्व.चि.महाविद्यालय रतलाम(म.प्र.)

**डॉ.कोमल सिंह लिखार**

पाठ्यक्रम प्रभारी अधिकारी

**डॉ.संतोष फुपरे**

पाठ्यक्रम नोडल अधिकारी एवं समन्वयक



शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम  
सैलाना रोड, ग्राम बंजली, रतलाम (म.प्र.) 457001

सह-चिकित्सीय स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र स्ववित्त-पोषित पाठ्यक्रम

महत्वपूर्ण तिथियाँ / सूचना

1.	28-01-2021 से 08-02-2021	नियम-निर्देशिका एवं आवेदन पत्र कॉलेज की वेबसाइट <a href="http://www.gmcratlam.org">www.gmcratlam.org</a> पर उपलब्ध होने की तिथि
2.	08-02-2021 सांय 4.00 बजे तक	भरे हुए आवेदन पत्र GMC Ratlam में कार्यालयीन समय पर जमा करने की अंतिम तिथि
3.	12-02-2021	प्रावीण्य सूची की घोषणा (वेबसाइट <a href="http://www.gmcratlam.org">www.gmcratlam.org</a> पर तथा संस्था के नोटिस बोर्ड पर)
4.	13-02-2021	GMC Ratlam में अंतिम मेरिट सूची से संबंधित किसी भी प्रश्न या सुझाव को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का समय सांय 4.00 बजे तक
5.	14-02-2021	प्रावीण्य सूची अनुसार काउंसलिंग शेड्यूल की घोषणा (वेबसाइट <a href="http://www.gmcratlam.org">www.gmcratlam.org</a> पर तथा संस्था के नोटिस बोर्ड पर)
प्रवेश के लिए प्रस्तावित काउंसलिंग शेड्यूल (आवेदक को योग्यता सूची के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों और फीस के साथ काउंसलिंग में शामिल होना अनिवार्य है।)		
5 i.	<b>प्रथम चरण</b> 15 से 18-02-2021 प्रातः 9.00 बजे से शाम 5 बजे तक	स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र कोर्स हेतु काउंसलिंग (स्कूटनी एवं आंवटन) रजिस्ट्रेशन प्रातः 9 बजे से 10.30 बजे तक
5 ii.	19-02-2021	प्रथम चरण काउंसलिंग उपरांत रिक्त सीटों की सूचना ( <a href="http://www.gmcratlam.org">www.gmcratlam.org</a> )
5 iii.	<b>मॉप अप राउंड</b> 22 एवं 23-02-2021 प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक	स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र कोर्स हेतु काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रातः 9 बजे से 10.30 बजे तक
6.	01-03-2021	प्रवेशित कोर्स के संबंधित विभाग में कक्षा प्रारम्भ होने की तिथि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय / म.प्र.सह-चिकित्सीय परिषद् / राज्य शासन द्वारा तत्समय जारी दिशा निर्देशों के अनुसार

नोट :-

- उपरोक्त तिथियों में परिवर्तन की सूचना वेबसाइट [www.gmcratlam.org](http://www.gmcratlam.org) पर प्रसारित की जाएगी।
- पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त जानकारी के लिए वेबसाइट [www.gmcratlam.org](http://www.gmcratlam.org) पर नियमित रूप से अवलोकन करें। पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई व्यक्तिगत कॉल लेटर सूचना जारी नहीं की जाएगी। नियमों / विनियमों / सीट विवरण में परिवर्तन की सूचना पृथक से न दी जाकर वेबसाइट एवं संस्था के नोटिस बोर्ड के माध्यम से जारी की जावेगी।
- रजिस्ट्रेशन समयावधि उपरांत किसी भी आवेदक को काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।



# शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम सैलाना रोड, ग्राम बंजली, रतलाम (म.प्र.) 457001

सह-चिकित्सीय स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र  
(स्ववित्त) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु दिशा निर्देश

## आवेदन शुल्क :-

आवेदक को आवेदन पत्र का शुल्क राशि रूपये 500/- (सामान्य वर्ग) एवं रूपये 300/- (आरक्षित वर्ग) डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा कर डिमाण्ड ड्राफ्ट की मूल प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। डिमाण्ड ड्राफ्ट New Government Medical College Autonomous Society Ratlam के नाम जो की State Bank of India, Government medical college Ratlam Branch IFSC Code - SBIN0061542 में देय होगा। बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट की मूल प्रति संलग्न नहीं होने पर आवेदन-पत्र अमान्य कर दिया जाएगा।

## निर्धारित समय अवधि में प्राप्त आवेदन शुल्क :-

सामान्य वर्ग हेतु	:रु. 500/-
आरक्षित वर्ग हेतु	:रु. 300/-

## नोट :-

1. आवेदन पत्र महाविद्यालय की वेबसाईट [www.gmcratlam.org](http://www.gmcratlam.org) पर दिनांक 28-01-2021 से 08-02-2021 तक उपलब्ध होंगे एवं दिनांक 08-02-2021 सांय 4.00 बजे तक पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम सैलाना रोड, ग्राम बंजली, रतलाम (म.प्र.) 457001 के पते पर लिफाफे पर पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन लिखकर जमा करना होगा, एवं आवेदन फार्म पर पाठ्यक्रम व आरक्षित श्रेणी को भी लिखना अनिवार्य है।
2. आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक अंक सूची एवं प्रमाण-पत्रों की स्व-सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथियों पर उम्मीदवार को स्वयं उपस्थित होकर गठित समिति के समक्ष अपना पाठ्यक्रम चयन कर पूर्ण शिक्षण शुल्क जमा करना होगा अन्यथा प्रवेश संबंधी दावा समाप्त माना जावेगा।
4. आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जावेगा।
5. समस्त पाठ्यक्रमों में आवेदन हेतु,, एक ही आवेदन पत्र एवं शुल्क जमा करना होगा।



# शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम सैलाना रोड, ग्राम बंजली, रतलाम (म.प्र.) 457001

## पैरामेडिकल पाठ्यक्रम समन्वय समिति

1. डॉ. कोमल सिंह लिखार, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, पैथोलॉजी विभाग	—	प्रभारी अधिकारी
2. डॉ. संतोष फुपरे, सह-प्राध्यापक, बायोकेमिस्ट्री विभाग	—	नोडल
3. डॉ. गौरव सक्सेना, सहायक प्राध्यापक, माइक्रोबायोलॉजी	—	सहायक नोडल
4. डॉ. महेश गुप्ता, सहायक प्राध्यापक, कम्युनिटी मेडिसिन विभाग	—	सदस्य
5. डॉ. मधुबाला गुबरेले, सहायक प्राध्यापक, ऑप्टैल्मोलॉजी विभाग	—	सदस्य
6. डॉ. उत्सव शर्मा, सहायक प्राध्यापक, एनेस्थीसिया विभाग	—	सदस्य
7. डॉ. प्रदीप दुबे, सहायक प्राध्यापक, आर्थोपेडिक विभाग	—	सदस्य

## संबंधित चिकित्सालय एवं अधीक्षक

शा.स्व.चि.महा. अस्पताल (अधीक्षक)	: डॉ. जितेन्द्र गुप्ता
जिला चिकित्सालय रतलाम (सिविल सर्जन)	: डॉ. आनंद चंदेलकर
महिला एवं बाल चिकित्सालय (अस्पताल प्रभारी)	: डॉ. आर.सी. डामोर

## संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष

एनाटॉमी विभाग	: डॉ. जितेन्द्र गुप्ता
फिजियोलॉजी विभाग	: डॉ. जगदीश चन्द्र हुन्डेकरी
बायोकेमेस्ट्री विभाग	: डॉ. मनोज पालीवाल
पैथोलॉजी विभाग	: डॉ. कोमल सिंह लिखार
माइक्रोबायोलॉजी विभाग	: डॉ. प्रफुल्ल सोनगरा
फार्माकोलॉजी विभाग	: डॉ. संजीब दास
नेत्ररोग विभाग	: डॉ. रिशेन्द्र सिंह सिसौदिया
सर्जरी विभाग	: डॉ. नीलम चार्ल्स
स्त्री एवं प्रसुति रोग विभाग	: डॉ. रेखा विमल गुप्ता
मेडिसिन विभाग	: डॉ. महेन्द्र चौहान
अस्थिरोग विभाग	: डॉ. देवेन्द्र नायक
नाक कान गला विभाग	: डॉ. पवन कुमार शर्मा
सामुदायिक चिकित्सा विभाग	: डॉ. स्वर्णकांता लिखार
एनेस्थीसिया विभाग	: डॉ. अपर्णा तामस्कर
फोरेन्सिक मेडिसिन विभाग	: डॉ. प्रदीप कुमार मिश्रा



शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम  
सैलाना रोड, ग्राम बंजली, रतलाम (म.प्र.) 457001

पाठ्यक्रम प्रभारी अधिकारी एवं समन्वयक  
मुख्य समन्वयक पैरामेडिकल पाठ्यक्रम : डॉ.कोमल सिंह लिखार, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, पैथोलॉजी

क्र.स.	पाठ्यक्रम का नाम	विभाग	प्रभारी अधिकारी	पाठ्यक्रम समन्वयक
1.	बैचलर ऑफ मेडिकल लेब टेक्नीशियन (डिग्री कोर्स)	पैथोलॉजी बायोकेमिस्ट्री	डॉ. के.एस. लिखार डॉ. मनोज पालीवाल	डॉ. एस.एस.चौहान डॉ. संतोष फुपरे
2.	मेडिकल लेब टेक्नीशियन (डिप्लोमा कोर्स)	माईक्रोबायोलॉजी	डॉ. प्रफुल्ल सोनगरा	डॉ. गौरव सक्सेना
3.	ऑप्टोमेट्रिस्ट रिफ्रेक्शनिस्ट (डिप्लोमा कोर्स)	ऑथेलमोलॉजी	डॉ. रिशेन्द्र सिंह सिसोदिया	डॉ. मधुबाला गुबरेले
4.	एनेस्थीसिया टेक्नीशियन (सर्टिफिकेट कोर्स)	एनेस्थीसिया	डॉ. अपर्णा तामस्कर	डॉ. शैलेन्द्र डावर
5.	ओ.टी. टेक्नीशियन (सर्टिफिकेट कोर्स)	सर्जरी	डॉ. नीलम चार्ल्स	डॉ. प्रवीण बघेल
6.	ऑर्थो टेक्नीशियन (सर्टिफिकेट कोर्स)	ऑर्थोपिडिक्स	डॉ. देवेन्द्र नायक	डॉ. नितिन किराडिया
7.	हेल्थ इन्सपेक्टर (सर्टिफिकेट कोर्स)	कम्युनिटी मेडिसिन	डॉ. एस.के.लिखार	डॉ. उमेश सिन्हा
8.	सायटो-टेक्नीशियन (सर्टिफिकेट कोर्स)	पैथोलॉजी	डॉ. रितेश गूजर	डॉ. स्मृति तिवारी



# शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम सैलाना रोड, ग्राम बंजली, रतलाम (म.प्र.) 457001

## Course's Description

### DEGREE COURSES

#### 1. Bachelor of Medical Lab Technician:-

Bachelor in Medical Laboratory Technology is 3 year degree course which deals with detection, diagnosis and treatment of diseases with the help of clinical laboratory tests. Medical lab technology is the science that is involved in bio-chemical, microscopic, immunological & bacteriological diagnostic analysis of human fluids, like-urine, blood, stool, sputum, peritoneal fluid, CSF and other specimen.

##### **SCOPE**

Hospital  
Clinics  
Health centers  
Pathology lab  
Pharma companies  
Blood Bank  
Minor emergency centers  
Crime laboratories

### DIPLOMA COURSES

#### 1. Diploma in Medical Laboratory Technician:-

Medical lab technology is the science that is involved in bio-chemical, microscopic, immunological & bacteriological diagnostic analysis of human fluids, like-urine, blood, stool, sputum, peritoneal fluid, CSF and other specimen.

##### **SCOPE –**

Hospital  
Clinics  
Health centers  
Pathology lab  
Pharma companies  
Blood Bank  
Minor emergency centers  
Crime laboratories

#### 2. Diploma in Optometrist refraction

Optometrist refractionist is a person who works with an ophthalmologist. They help ophthalmologist in care for patients by taking history, performing various technical procedures, tests refractions of eyes. They provide the ophthalmologist with important information to help in correction of sight.

##### **SCOPE –**

Eye Clinic setup  
Eye hospital  
Medical college  
Optical companies

# CERTIFICATE COURSES

## 1. Certificate in Anesthesia Technician

It is a certificate level course in specialization in anesthesia. Anesthesia technicians are allied health care professionals. An anesthesia technician takes care of anesthesia administration as well as monitoring and care of patients.

### **SCOPE –**

Work in areas of ICU/ICCU  
Emergency department  
Surgical wards and operation theatre

## 2. Certificate in Operation Theatre Technician

An O.T. technician helps in pre- operative care of operation theatre like making the apparatus ready for a particular operation, autoclaving, OT technician are also responsible to make the necessary arrangement during the operation also.

### **SCOPE –**

Hospitals  
Nursing homes  
Corporate hospitals  
Medical colleges etc.

## 3. Certificate in Ortho Technician.

Ortho technician assist the orthopedic surgeon during close reduction of dislocated joints & fracture of bones and help in plaster of fractured bone.

### **SCOPE –**

Hospitals  
Trauma centers  
Nursing homes  
Corporate hospitals  
Medical colleges etc.

## 4. Certificate in Health Inspector

The Certificate in Health Inspector is a one year paramedical course lays emphasis on the maintenance of health & hygiene in the place where medical facilities are being offered.

### **SCOPE –**

As basic health care practices  
Community health care practices.  
Rural health care practices.

## 5. Certificate in Cyto Technician

Cyto technician is a person who help to pathologist in assisting the FNAC proce, preparing and staining of the cyto smear.

### **SCOPE –** Work an cytotechnician in

Pathology Lab  
Hospitals  
Health centre  
Nursing homes  
Corporate hospitals  
Medical colleges etc



शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम  
सैलाना रोड, ग्राम बंजली, रतलाम (म.प्र.) 457001

नियम एवं निर्देश

A. पाठ्यक्रम अवधि एवं उपलब्ध सीटों की संख्या : –

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	उपलब्ध सीट
स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम			
1.	बैचलर ऑफ मेडिकल लेब टेक्नीशियन (BMLT)	03 वर्ष	20
डिप्लोमा पाठ्यक्रम			
1.	मेडिकल लेब टेक्नीशियन (DMLT)	02 वर्ष	20
2.	ऑप्टोमेट्रिस्ट रिफ्रैक्शन	02 वर्ष	10
सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम			
1.	एनेस्थीसिया टेक्नीशियन	01 वर्ष	10
2.	ओ.टी. टेक्नीशियन	01 वर्ष	10
3.	ऑर्थो टेक्नीशियन	01 वर्ष	10
4.	हेल्थ इन्सपेक्टर	01 वर्ष	10
5.	सायटो टेक्नीशियन	01 वर्ष	05





# शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम सैलाना रोड, ग्राम बंजली, रतलाम (म.प्र.) 457001

**Available Seats Distribution in different Degree/Diploma/Certificate Courses :  
2020-21 Session**

Subjected to M.P. state Govt./ M.P. Paramedical Council Rules/Orders

**B. सीटों का आरक्षण** — म.प्र. शासन नियमानुसार पाठ्यक्रमों हेतु उपलब्ध सीटों में आरक्षित श्रेणियों के आवेदकों हेतु अनुसूचित

जनजाति—20 प्रतिशत, अनुसूचित जाति—16 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग—14 प्रतिशत, EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)—10 प्रतिशत सीट आरक्षित है।

S. No.	Name of Course	Duration	आरक्षित (Unreserved)					EWS	अनुसूचित जाति (Schedule Caste)					अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribes)					अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)					Total
			Op en	PW D	MP	FF	IS		Op en	PW D	MP	FF	IS	Op en	PW D	MP	FF	IS	Op en	PW D	MP	FF	IS	
1	BACHELOR IN MEDICAL LAB. TECHNICIAN	3 वर्ष	6	1	0	—	1	2	2	—	1	0	—	3	0	—	1	—	2	—	—	—	1	20
2	DIPLOMA IN MEDICAL LAB. TECHNICIAN	2 वर्ष	6	—	1	—	1	2	2	—	—	1	—	3	0	—	—	1	2	1	—	—	0	20
3	DIPLOMA OPTOMETRIST REFRACTIONS	2 वर्ष	3	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	10
4	CERTIFICATE ANESTHESIA TECHNICIAN	1 वर्ष	3	0	1	—	0	1	2	—	—	—	—	1	—	0	—	1	1	—	—	—	—	10
5	CERTIFICATE O.T. TECHNICIAN	1 वर्ष	3	—	—	1	0	1	1	—	—	0	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	10
6	CERTIFICATE ORTHO TECHNICIAN	1 वर्ष	3	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	10
7	CERTIFICATE HEALTH INSPECTOR	1 वर्ष	3	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	10
8	CYTO TECHNICIAN	1 वर्ष	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	05

इस सूची में नए पाठ्यक्रम जोड़े जा सकते हैं सीटों की संख्या में संशोधन के लिए संस्थान के पास अधिकार है

**PWD - Person with disability** (दिव्यांग), **MP - Military Personne** (सैन्य कर्मी), **FF - Freedom Fighter**

(स्वतंत्रता सेनानी), **IS - In Service Candidate** ( शासकीय सेवा में कार्यरत संबंधित विभागीय कर्मचारियों हेतु आरक्षित)

**EWS - Economically weaker section** (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)

(1) सीटों का आरक्षण/आवंटन म.प्र. शासन के नियमानुसार होगा।—आरक्षण का निर्धारण पाठ्यक्रमवार उपलब्ध कुल सीट्स की संख्या पर किया जाएगा।

(2) 33 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिये आरक्षित होगी।

(3) तीन प्रतिशत (3%) सीट स्वतंत्रता सेनानी एवं तीन प्रतिशत (3%) सैनिक वर्ग के लिए आरक्षित होगी।

(4) दिव्यांग प्रवर्ग:— ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी, जो मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय निवासी हैं, उनके लिए तीन प्रतिशत (3%) सीट नियमानुसार आरक्षित है। यह आरक्षण क्षैतिज (हॉरिजोन्टल) होगा।

(5) नियमित सेवारत शासकीय कर्मचारियों को पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत सीट आरक्षित है।

**नोट** : दिव्यांग श्रेणी में प्रवेश हेतु केवल निचले अंगों की गतिक विकलांगता में 50 से 70 प्रतिशत दिव्यांगता वाले आवेदक ही पात्र होंगे 50 से 70 (PWD-1) प्रतिशत की विकलांगता के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर 40 प्रतिशत से 50 ( PWD-2) प्रतिशत के अभ्यर्थियों से यह स्थान भरे जावेंगे एवं उन्हें अधीक्षक, व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाऊन, जबलपुर, श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता प्रमाण पत्र एवं सी.एम.एच.ओ. द्वारा जारी दिव्यांगता (विकलांगता) प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति की निम्नलिखित श्रेणियों को पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी:— 1. हाथ की विकलांगता 2. अंधापन 3. बहरापन 4. पैरों की 70% से अधिक विकलांगता।

### C. प्रवेश हेतु पात्रता : –

1. पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड / समकक्ष बोर्ड / विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा 10+2 – भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान / बायोटेक्नोलॉजी विषयों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड उत्तीर्ण उम्मीदवार को अन्य छात्रों के समकक्ष माना जाएगा।
2. समस्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 पैटर्न की 12 वी कक्षा / हायर सेकेंडरी परीक्षा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान / बायोटेक्नोलॉजी विषयों के साथ अनारक्षित श्रेणी हेतु 40% एवं आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को 33% अंको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
3. सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा मान्य होने पर मान्यता प्राप्त व्होकेशनल कोर्स के अंतर्गत यदि संबंधित विषय बायोलॉजी समूह से होने पर (10+2 हायर सेकेंडरी) पात्र हो तो इस विषय में मेरिट के आधार पर पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश पर विचार किया जावेगा।
4. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मध्यप्रदेश राज्य मूलनिवासी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, सीट रिक्त होने की स्थिति में अन्य राज्य के उम्मीदवारों को उनकी योग्यता / मेरिट लिस्ट के अनुसार श्रेणीवार प्रवेश दिया जाएगा, आरक्षण का लाभ केवल मध्यप्रदेश राज्य मूल निवासी उम्मीदवारों को ही दिया जाएगा।
5. **मेडिकल फिटनेस:** – मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र राज्य परिषद द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।
6. **आयु सीमा:** – पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदक की आयु 31 दिसंबर 2020 अथवा पूर्व में 17 वर्ष की न्यूनतम उम्र पूर्ण होनी चाहिए, सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 31 दिसंबर 2020 तक आवेदक की अधिकतम आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, आरक्षित श्रेणी (एस.टी./एस.सी./ओ.बी.सी.) एवं दिव्यांग आवेदक की अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
7. **गैप सर्टिफिकेट** – यदि आवेदक ने वर्ष 2020 से पहले 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसे विधिवत नोटरी पेपर में गैप प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. **सभी मार्कशीट्स प्रमाण** – पत्रों एवं संबंधित दस्तावेजों में उम्मीदवार का नाम एक सा होना चाहिए। यदि नाम में किसी प्रकार की भिन्नता हो तो उससे संबंधित वैध दस्तावेज लगाना अनिवार्य होगा।
9. नियमित सेवारत शासकीय कर्मचारियों के पैरामेडिकल डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु नियम एवं दिशा निर्देश :-
  - a) विभागीय (शासकीय) कर्मचारियों हेतु- शासकीय कर्मचारियों को नियमित सेवा में होना अनिवार्य है तथा उसकी नियमित सेवा अवधि कम से कम 05 वर्ष तथा सेवानिवृत्ति में 05 वर्ष की समयावधि शेष होना अनिवार्य है, अर्थात् डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु 07 वर्ष या अधिक एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में 06 वर्ष से अधिक की सेवा होना अनिवार्य है। विभागीय शासकीय कर्मचारी के लिए उच्चतम आयु सीमा का बंधन नहीं होगा। उक्त कर्मचारी केवल द्विवर्षीय डिप्लोमा एवं एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स हेतु ही पात्र होंगे।
  - b) पाठ्यक्रम चयन हेतु कक्षा 12वीं के प्राप्तांको के अनुसार बनाई गई प्रावीण्यता सूची मुख्य आधार होगी। शासकीय विभागीय कर्मचारी को उनके कार्यानुभव के आधार पर पांच वर्ष पश्चात प्रत्येक वर्ष के अनुभव पर 2 अंक प्रदान किया जावेंगे एवं अधिकतम 10 वर्ष का अनुभव ही सम्मिलित किया जावेंगा। (अधिकतम 20 अंक)
  - c) मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा निर्धारित नियमानुसार नियमित सेवारत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत पात्र पैरामेडिकल कर्मचारियों को पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 10% सीट आरक्षित है, उक्त सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक कार्यरत शासकीय कर्मचारी को प्रवेश हेतु सक्षम अधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में अनुमति स्वीकृति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त पाठ्यक्रम उस कार्यरत शासकीय कर्मचारी के लिए तथा शासकीय कार्यों में किस तरह उपयोगी है।
  - d) संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 748-51 स्था/अराज/2007 दिनांक 05/11/2007 के अनुसार यदि पैरामेडिकल स्टाफ से हटकर अन्य संवर्ग के अपात्र शासकीय कर्मचारियों को उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है तो ऐसी स्थिति में अनुमति जारी करने वाले सक्षम अधिकारी जवाब देह होंगे।
  - e) बहु-उद्देशीय कार्यकर्ताओं (ANM) के पद पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों को संस्था में संचालित उक्त पैरामेडिकल की विषय अनुसूची में सम्मिलित कोई भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।

- f) संबंधित कर्मचारी का उक्त परीक्षण के लिए चयन होने एवं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के पूर्व उक्त कर्मचारी के पद की वैकल्पिक व्यवस्था सक्षम अधिकारी सुनिश्चित करेंगे।
- g) सक्षम अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु एक बार में अधिकतम 02 या 03 आवेदकों के आवेदन पर ही विचार किया जावे, एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर वरिष्ठ कर्मचारी के आवेदन पत्र भेजने में प्राथमिकता दी जावे।
- h) प्रशिक्षण उपरांत उक्त कर्मचारी शासन के प्रचलित विभागीय भर्ती ,पदोन्नति नियमों के विरुद्ध पदोन्नति हेतु दावा नहीं कर सकेगा।
- i) प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवंटन प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत ही संबंधित को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु कार्यमुक्त किया जावे।
- j) अनापत्ति प्रमाण पत्र व अनुमति प्रमाण पत्र में सक्षम अधिकारी आवेदन प्रोफार्मा प्रमाण पत्र (विभागीय कर्मचारी हेतु) में बिंदु क्रमांक 2 में यह दर्ज करें की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र यह जारीकर्ता द्वारा प्रवेश विवरणिका के दिशा निर्देशों का अवलोकन पश्चात सहमति प्रदान कर रहे हैं।
- k) सेवारत अभ्यर्थी आवेदकों को काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय अन्य आवेदक विद्यार्थियों की तरह समस्त शुल्क देय होंगे एवं उनको भी अन्य आवेदकों की तरह सीट लिविंग बॉन्ड निष्पादित करना होगा।
- l) विभागीय शासकीय कर्मचारियों विश्वविद्यालय परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत इसी संस्था में अन्य छात्रों की तरह 03 माह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय/परिषद की सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के उपरांत अपने मूल विभाग में उपस्थित होंगे तथा परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण होने के पश्चात 3 माह के प्रायोगिक प्रशिक्षण/इंटरशिप इसी संस्था में पूर्ण करनी होगी।

#### **D. चयन प्रक्रिया : –**

1. पाठ्यक्रमों में चयन योग्यता परीक्षा/उच्च माध्यमिक 10 + 2 या समकक्ष में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट लिस्ट केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी/बायोटेक्नोलॉजी में प्राप्त के प्राप्तांको पर आधारित होगी।
2. योग्यता सूची में समान प्राप्तांको होने पर उम्र में वरिष्ठ को वरीयता दी जाएगी। यदि आवेदको की जन्म तिथि समान है एवं मेरिट लिस्ट में समान प्राप्तांक है तो, वरीयता क्रम में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान विषयों के क्रम में अधिक अंक रखने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।
3. गैप प्रमाण पत्र , यदि कोई हो—यदि आवेदक ने वर्ष 2020 से पहले 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसे विधिवत नोटरी पेपर में गैप प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. प्रवेशित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों को संस्थान में काउंसलिंग के दौरान जमा किये जायेंगे और पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद (No Dues) बिना बकाया राशि के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही वापस किये जायेंगे। यदि उम्मीदवार पाठ्यक्रमों में प्रवेश के पश्चात, बिना पाठ्यक्रम पूर्ण किये पाठ्यक्रम छोड़ता है तो उसे संस्थान को सीट लीविंग बंध (बॉन्ड) की राशि का भुगतान करना होगा।

## E. प्रवेश हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया : -

1. निर्धारित तिथि पर पाठ्यक्रम चयन/प्रवेश हेतु सभी उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। उपलब्ध सीटों के अनुसार वे अपना पाठ्यक्रम चयन कर सकते हैं।
2. प्रवेश हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु पृथक से कोई कॉल लेटर जारी नहीं किया जावेगा, आवेदक संस्था के नोटिस बोर्ड/चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट [www.gmcratlam.org](http://www.gmcratlam.org) पर प्रकाशित किये जाने वाले दिशा निर्देश/सूचना/ मेरिट लिस्ट/प्रावीण्य सूची आदि का अवलोकन करते रहे एवं प्रवेश हेतु उक्तानुसार पालन करना सुनिश्चित करें।
3. पाठ्यक्रम चयन हेतु काउंसलिंग के दिन समस्त मूल प्रमाण-पत्रों तथा निर्धारित फीस के साथ संस्था GMC Ratlam में नियत समय पर स्वयं उम्मीदवार को उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया शुल्क राशि रुपये 500/- (पाँच सौ रुपये मात्र) काउंसलिंग की तिथि को जमा करवाना होगा। पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क डिमांड ड्राफ्ट द्वारा देय होगा।
4. प्रवेश प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित मूल दस्तावेज जमा करने होंगे—
  1. हायर सेकेण्डरी कक्षा बारहवीं (10+2) की अंकसूची।
  2. स्कूल छोड़ने का प्रमाण-पत्र (टी.सी./एस.एल.सी.)।
  3. जन्म तिथि प्रमाण-पत्र (हाईस्कूल की अंकसूची जिसमें जन्मतिथि दर्शायी गई हो)
  4. मूल निवासी प्रमाण-पत्र।
  5. यदि लागू हो तो प्रमाण-पत्र प्रेषित करें - सक्षम अधिकारी द्वारा वर्तमान में जारी, जाति प्रमाण-पत्र/अधीक्षक, व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाऊन, जबलपुर, श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता प्रमाण पत्र एवं दिव्यांगता (विकलांगता) प्रमाण-पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण-पत्र/सैनिक का प्रमाण-पत्र/ सक्षम अधिकारी द्वारा वर्तमान में जारी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का प्रमाण-पत्र।
  6. आय प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी - 1 अप्रैल 2020 कि स्थिति में माता/पिता/पालक का संयुक्त आय प्रमाण-पत्र/आयकर विभाग में जमा रिटर्न की प्रति / पे स्लिप।
  7. सेवारत नियमित शासकीय कर्मचारी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
  8. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग श्रेणी के अन्तर्गत प्रवेश लेने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जारी तत्संबंधी प्रमाण-पत्र।

### नोट :-

1. सर्टिफिकेट/मार्कशीट/अन्य दस्तावेजों में नाम भिन्न होने की स्थिति में संबंधित वैध दस्तावेज। समस्त मूल दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी सी.डी. में एवं दो सेट छायाप्रतियों में जमा करवाना अनिवार्य है।
  2. प्रवेश के समय जमा किये गये समस्त मूल दस्तावेज आवेदक द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण होने के उपरान्त लेखा शाखा, पुस्तकालय, खेलकूद, होस्टल, प्रयोगशाला, एवं अन्य संबंधित विभागों आदि से अदेय प्रमाण पत्र (No Dues) प्रस्तुत करने के उपरान्त ही लौटाये जावेगे।
5. निम्नलिखित अनुक्रम में श्रेणी के अनुसार मेरिट-कम-ऑफ़न के आधार पर काउंसलिंग की जाएगी :-
- I- एसटी श्रेणी II- एससी श्रेणी III- ओबीसी श्रेणी IV- अनारक्षित श्रेणी

यदि किसी श्रेणी में आरक्षण की सीमा तक योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो रिक्त सीटों को अन्य श्रेणियों में उपलब्ध कराकर भरा जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है :-

i- एसटी श्रेणी की खाली सीटों को एससी श्रेणी वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

ii- एससी श्रेणी की खाली सीटों को पात्र एसटी वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

iii- अगर एसटी और एससी श्रेणियों में आरक्षण के लिए योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो रिक्त सीटों को ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

iv- यदि पात्र अभ्यर्थी उपरोक्त तरीके से तीन आरक्षित श्रेणियों में ऊपर के चरणों में उपलब्ध नहीं हैं, तो रिक्त सीट को पात्र अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

v- EWS श्रेणी की रिक्त सीटों को, अनारक्षित श्रेणी वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरा जावेगा।

6. यदि PWD (दिव्यांग), MP (सैन्य कर्मी), FF (स्वतंत्रता सेनानी), IS (इन-सर्विस) श्रेणियों में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो ऐसी खाली सीट को उस श्रेणी की खुली सीट में बदल दिया जाएगा।
7. एसटी/एससी/ओबीसी वर्ग से उम्मीदवार, जिनका नाम उनकी श्रेणी के मेरिट/ प्रतीक्षा सूची के साथ -साथ अनारक्षित सूची में भी दर्शाया गया है, उनके पास काउंसलिंग के दौरान विकल्प होगा कि वह उनकी अपनी श्रेणी अथवा अनारक्षित श्रेणी में प्रवेश ले सकते
8. उम्मीदवार द्वारा काउंसलिंग में चयनित पाठ्यक्रम किसी भी स्थिति में परिवर्तित (बदलाव) नहीं किया जावेगा।
9. उम्मीदवार को काउंसलिंग में भाग लेने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

## F. फीस संरचना : -

### शुल्क का विवरण सत्र 2020-21

म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्र. एफ/5-14/18/1/55/चि.शि. भोपाल दिनांक 24 मई 2018 की कंडिका 02 के परिपालन में रजिस्ट्रार, म.प्र. सह - चिकित्सीय परिषद् के पत्र क्रमांक-26/कॉलेज-2020-2021/3015/2020 भोपाल दिनांक 16-10-2020 के अनुसार :-

#### स्नातक पाठ्यक्रम बी.एम.एल.टी हेतु शुल्क (प्रथम वर्ष)

क्र.	विवरण	शुल्क
1	शिक्षण शुल्क	रुपये 64,600
2	खेलकूद मनोरंजन	रुपये 1,000
3	आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	रुपये 1,000
4	प्रयोगशाला एवं सामग्री शुल्क	रुपये 1,000
5	सुरक्षा निधि (वापसी योग्य)	रुपये 5,000
	<b>कुल योग रुपये</b>	<b>रुपये 72,600</b>

द्वितीय/तृतीय/ अंतिम वर्ष के लिये देय शुल्क रु. 64,600 होगा। अनुत्तीर्ण होने पर नियमानुसार शुल्क देय होंगे

#### द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुल्क (प्रथम वर्ष)

क्र.	विवरण	शुल्क
1	शिक्षण शुल्क	रुपये 41,530
2	खेलकूद मनोरंजन	रुपये 1,000
3	आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	रुपये 1,000
4	प्रयोगशाला एवं सामग्री शुल्क	रुपये 1,000
5	सुरक्षा निधि (वापसी योग्य)	रुपये 5,000
	<b>कुल योग रुपये</b>	<b>रुपये 49,530</b>

द्वितीय वर्ष के लिये देय शुल्क रु.41,530/- होगा। अनुत्तीर्ण होने पर नियमानुसार शुल्क देय होंगे।

#### एकवर्षीय प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम शुल्क

क्र.	विवरण	शुल्क
1	शिक्षण शुल्क	रुपये 30,000
2	खेलकूद मनोरंजन	रुपये 1000
3	आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	रुपये 1000
4	प्रयोगशाला एवं सामग्री शुल्क	रुपये 1000
5	सुरक्षा निधि (वापसी योग्य)	रुपये 5000
	<b>कुल योग रुपये</b>	<b>रुपये 38,000</b>

एक वर्षीय प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण होने पर नियमानुसार शुल्क देय होंगे।

#### नोट:

1. सुरक्षा निधि सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् ही वापस लौटायी जावेगी।
2. प्रवेश लेने वाले सेवारत नियमित शासकीय कर्मचारियों को भी पूर्ण शुल्क जमा करना होगा।
3. उपरोक्त शुल्क में प्रतिवर्ष 7.4 प्रतिशत की स्वतः बढ़ोत्तरी होगी, जिसे निकटतम 10 के पूर्णांक में निर्धारित किया गया है।



पाठ्यक्रम शुल्क- आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र. शासन के परिपत्र कलेक्टर रतलाम, कार्यालय आदिम जाति कल्याण विभाग के अनुसार फीस में रियायत एवं छात्रवृत्ति देय होगी। इस हेतु उन्हें वर्तमान वर्ष का अपने माता/पिता/पालक का संयुक्त आय प्रमाण पत्र एवं आरक्षित श्रेणी का प्रमाण-पत्र, छात्रवृत्ति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति फॉर्म के साथ संलग्न करना होगी एवं काउंसलिंग के समय मूल प्रतिलिपि में प्रस्तुत करना होगी।

## G. शुल्क शुल्क के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु –

1. समस्त श्रेणी के उम्मीदवारों को स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का निर्धारित प्रथम वर्ष का शुल्क काउंसलिंग के समय अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। पाठ्यक्रम की निर्धारित शुल्क डीडी के माध्यम से पाठ्यक्रम चयन के समय (काउंसलिंग के दौरान) जमा कराना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट **New Government Medical College Autonomous Society Ratlam** के नाम जो की **State Bank of India, Government medical college Ratlam Branch IFSC Code - SBIN0061542** में देय होगा। निर्धारित शुल्क एवं आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने के उपरांत ही पाठ्यक्रम में प्रवेश सुनिश्चित होगा।
2. सीट लीविंग बांड :- डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले आवेदकों को अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी शा.स्व. चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम के नाम, सीट लीविंग बाँड रु. 500/- के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित कर नोटरी करवाकर काउंसलिंग के दौरान जमा करवाना होगा, जिसकी राशि सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के शिक्षण शुल्क के बराबर रहेगी, जिसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि आवेदक यदि किसी भी कारणवश पाठ्यक्रम पूर्ण किये बिना पाठ्यक्रम छोड़ता है तो वह सीट लीविंग बांड राशि संस्था में जमा करवायेगा। उक्त सीट लीविंग बांड प्रवेश दिवस से प्रभावी माना जावेगा।
3. संस्था में समस्त पाठ्यक्रम स्व-वित्तीय आधार पर संचालित है, अतः समस्त श्रेणी के आवेदकों/इन-सर्विस कैंडिडेट्स को निर्धारित समस्त शिक्षण और अन्य शुल्कों का भुगतान प्रवेश के समय एवं तत्पश्चात निर्धारित तिथियों पर करना होगा, संस्था में जमा किये गए शुल्क वापिस नहीं किये जावेंगे।
4. आरक्षित श्रेणी:- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र छात्र, आदिवासी कल्याण विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मद्राज सरकार को शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए निर्दिष्ट वेबसाइट पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। नियमानुसार छात्रवृत्ति एवं शिक्षण तथा अन्य शुल्क की प्रतिपूर्ति उम्मीदवार के बैंक खाते में जमा की जावेगी। उक्त उम्मीदवार का भारतीय स्टेट बैंक शाखा में बैंक खाता होना अनिवार्य है।
5. छात्रों को अगले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले / समय-समय पर जारी नोटिसों में उल्लेखित/निर्धारित तिथियों के अनुसार शिक्षण और अन्य शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि छात्र निर्धारित समय में कॉलेज की फीस जमा करने में विफल रहते हैं, तो विलम्ब शुल्क रु. 20/- प्रति दिवस के हिसाब से देय होगा।
6. यदि विद्यार्थी को खराब आचरण, गैर – कानूनी/असामाजिक गतिविधियों, नियमों के उलंघन एवं अन्य किसी कारणवश संस्था से निष्काशित किया जाता है अथवा विद्यार्थी निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण किये बिना छोड़ता है, तो संस्था में जमा किये गए किसी भी प्रकार के शुल्क वापिस नहीं किये जावेंगे एवं निर्धारित सीट लीविंग बांड राशि का भुगतान करना होगा।
7. छात्रों को समय-समय पर कंप्यूटर, स्टेशनरी, गेम्स, मैगजीन फीस आदि के लिए अन्य शुल्क लगाया जा सकता है।
8. यदि छात्र किसी भी शैक्षणिक सत्र में अनुत्तीर्ण होने पर पूरक परीक्षा देनी होगी एवं विश्वविद्यालय को निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा। छात्र के अनुत्तीर्ण होने के कारण पाठ्यक्रम की अवधि निर्धारित अवधि से अधिक हो जाने पर छात्र को परीक्षा शुल्क सहित विस्तारित अवधि के लिये निर्धारित शुल्कों का भुगतान करना होगा।

## H. प्रवेश निरस्तीकरण नियम/प्रक्रिया :-

1. यदि यह पाया जाता है कि किसी भी उम्मीदवार ने तथ्यों को छिपाकर/गलत दस्तावेज/गलत अधूरी जानकारी के आधार पर संस्था में प्रवेश प्राप्त किया है अथवा त्रुटिवश आवेदक को प्रवेश दे दिया गया है, ऐसी स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अथवा अध्ययन अवधि के दौरान बिना किसी भी पूर्व सूचना के प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। उक्त सम्बन्ध में संस्था प्रमुख का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
2. प्रवेश दिवस के 15 दिनों के भीतर विद्यार्थी को सम्बन्धित विभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी अन्यथा उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से पाठ्यक्रम में निर्धारित तिथि तक उपस्थित न होने कि स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी के माध्यम से उचित आवेदन प्रस्तुत करना होगा अन्यथा प्रवेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
3. यदि विद्यार्थी अनाधिकृत रूप से बिना किसी सूचना के लगातार 07 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो उसका प्रवेश स्वतः रद्द माना जाएगा। अनुपस्थिति की इस अवधि को विद्यार्थी के किसी भी अवकाश से समायोजित नहीं किया जाएगा।
4. कोई भी छात्र किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है/ संस्थान परिसर के अंदर या बाहर किसी भी प्रकार के कदाचार में भाग लेता है / कक्षाओं में अनाधिकृत रूप से अनाचार करता है/ गैर-शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेता है / रैगिंग आदि के लिए उत्तरदायी होता है तो संस्था प्रमुख के पास अधिकार है की छात्र-छात्रा के अनुचित व्यवहार के कारण वह अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए संस्था से निष्कासन/प्रवेश निरस्त कर सकते है।
5. उम्मीदवार द्वारा प्रवेश निरस्तीकरण :- यदि आवेदक/विद्यार्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होकर निर्धारित शुल्क एवं मूल दस्तावेज जमा करवाने के उपरांत/ पाठ्यक्रम में अध्ययन के दौरान अपना प्रवेश निरस्त करवाना चाहता है, तो उक्त सम्बन्ध में निर्धारित सीट लीविंग बांड कि राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, जमा करवाए गए शुल्क कि रसीद कि मूल प्रति के साथ मय शपथ पत्र के प्रवेश निरस्तीकरण हेतु आवेदन अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। अधिष्ठाता महोदय के अनुमोदन उपरांत ही

सम्बन्धित का प्रवेश निरस्त कर संस्था में प्रवेश के दौरान जमा किये गए मूल दस्तावेज सम्बन्धित/अधिकृत व्यक्ति को लौटाये जावेंगे।

## I. दस्तावेजों का सत्यापन :-

प्रवेश के दौरान विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन की यदि आवश्यकता होती है तो सम्बन्धित जारीकर्ता विभाग/अधिकारी को प्रेषित कर दस्तावेजों का सत्यापन करवाया जावेगा, उक्त सत्यापन में व्यय होने वाली राशि विद्यार्थी द्वारा वहन की जावेगी।

## J. छात्रावास में रहने की सुविधा : -

वर्तमान में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

## K. विद्यार्थियों के लिये शैक्षणिक नियम एवं आचरण संहिता :-

1. संस्था की गरिमा बनाये रखने हेतु समस्त विद्यार्थियों से अनुशासन, उपयुक्त व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, अतः अनुशासित रहकर संस्था के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
2. विद्यार्थियों को मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर / मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्, भोपाल / शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम द्वारा जारी समस्त नियम-नियमाकुल, पत्र-परिपत्र एवं दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के दौरान समस्त सैद्धांतिक (थ्योरी), प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) एवं क्लीनिकल पोस्टिंग्स में निर्धारित उपस्थिति अनिवार्य है, सैद्धांतिक (थ्योरी) कक्षाओं में 75% एवं प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) कक्षाओं में 80% उपस्थिति अनिवार्य है, इसमें सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं की उपस्थिति की गणना पृथक-पृथक की जावेगी। निर्धारित उपस्थिति के अभाव में विद्यार्थियों को आगामी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी, जिससे उसकी पाठ्यक्रम अवधि बढ़ जावेगी। आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा जारी निर्देशानुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क-प्रतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित विद्यार्थियों का आवेदन अग्रेषित नहीं किया जा सकेगा।
4. विद्यार्थियों द्वारा मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा जारी निर्धारित उपस्थिति के सम्बन्ध में "जीरो टॉलरेंस नीति" का पालन करना होगा, उक्तानुसार यदि विद्यार्थी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है तो उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जावेगा। अनाधिकृत अनुपस्थिति की पुनरावृत्ति पर अभिभावकों को सूचित किया जावेगा, तदोपरांत भी विद्यार्थी द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थिति की पुनरावृत्ति की जाती है तो सम्बन्धित विद्यार्थी को संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जानेवाली परीक्षा से वंचित किया जा सकेगा एवं सम्बन्धित का नामांकन रद्द करने हेतु विश्वविद्यालय को सूचित किया जावेगा।
5. अधिष्ठाता द्वारा निर्धारित उपस्थिति से 5 प्रतिशत तक कम उपस्थिति होने की दशा में परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु उपयुक्त एवं संतोषजनक कारण होने पर ही परीक्षा में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा की जा सकेगी।
6. समय -समय पर विद्यार्थी एवं अभिभावक, विद्यार्थी की उपस्थिति एवं अध्ययन के सम्बन्ध में अवलोकन करते रहे।
7. कक्षा, लैब, विभाग एवं संस्था में डिग्री पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को सफेद एवं डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को नीला एप्रन (लैब कोट) पहनना अनिवार्य होगा।
8. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर/मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्, भोपाल में नामांकन हेतु स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) एवं माइग्रेसन (प्रवजन) प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करवानी होगी, उक्त दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करने के अभाव में विद्यार्थी का नामांकन नहीं हो सकेगा, जिसके लिये विद्यार्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
9. डिग्री पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के उपरांत 06 माह की इंटर्नशिप, शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम से सम्बद्ध चिकित्सालयों में पूर्ण करना अनिवार्य हैं।
10. विभिन्न डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के उपरांत 03 माह की इंटर्नशिप, शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम से सम्बद्ध चिकित्सालयों में पूर्ण करना अनिवार्य हैं।
11. डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक निर्धारित पाठ्यक्रम एवं इंटर्नशिप पूर्ण करने के उपरांत ही सम्बन्धित को मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा डिग्री/डिप्लोमा प्रदान किये जावेंगे। सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को निर्धारित पाठ्यक्रम एवं इंटर्नशिप पूर्ण करने पर मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्, भोपाल द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम का सर्टिफिकेट जारी किये जावेंगे।
12. पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत विद्यार्थी एवं सेवारत नियमित शासकीय कर्मचारी को एम.पी.ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्, भोपाल में पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) करवाना अनिवार्य है।

सूचना: - प्रवेश नियमों और प्रक्रिया में संशोधन के सभी अधिकार संस्था के पास सुरक्षित हैं, कोई भी किया गया परिवर्तन आवेदक के लिए लागू होगा। सभी प्रकार के न्यायिक मामलों में न्यायिक एवं परिवाद क्षेत्र रतलाम होगा।



# शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम सैलाना रोड, ग्राम बंजली, रतलाम (म.प्र.) 457001

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2020-21

कार्यालयीन उपयोग हेतु		
आवेदन क्रमांक .....	आवेदन फीस रुपये .....	प्राप्त हुई
डिमाण्ड ड्राफ्ट क्रमांक .....	दिनांक ...../...../.....	

आवेदक को आवेदन पत्र का शुल्क राशि रुपये 500/- (सामान्य वर्ग) एवं रुपये 300/- (आरक्षित वर्ग) डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा कर डिमाण्ड ड्राफ्ट की मूल प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। डिमाण्ड ड्राफ्ट New Government Medical College Autonomous Society Ratlam के नाम जो की State Bank of India, Government medical college Ratlam Branch IFSC Code - SBIN0061542 में देय होगा। बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट की मूल प्रति संलग्न नहीं होने पर आवेदन-पत्र अमान्य कर दिया जाएगा।

प्रवेश पाठ्यक्रम का नाम .....

- आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) .....
- आवेदक का पूरा नाम (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में) .....
- लिंग: महिला/पुरुष..... (कृपया अन्य काट दें)
- पिता/पति का नाम (अंग्रेजी कैपिटल अक्षरों में) .....
- पिता/पति का नाम (हिन्दी के अक्षरों में) .....
- माता का नाम (हिन्दी के अक्षरों में) ..... (अंग्रेजी कैपिटल अक्षरों में) .....
- श्रेणी (Category):- अनारक्षित (UR)/अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)/स्वतंत्रता सेनानी (Freedom Fighter)/दिव्यांग (PWD)/सैनिक (Military Personnel). (संबंधित श्रेणी पर सही का निशान लगाये)
- डिजिटल जाति प्रमाण पत्र नम्बर (यदि लागू हो तो) .....
- स्थायी पूर्ण पता: .....
- जिला.....राज्य.....दूरभाष नं.....
- मोबाइल नं.....ई-मेल .....
- जन्म दिनांक.....शब्दों में जन्म दिनांक.....  
(आयु दिनांक 31.12.2020) .....वर्ष .....माह.....दिन.....
- जन्म स्थान.....जिला.....राज्य ..... राष्ट्रीयता .....
- उम्मीदवार का आधारकार्ड नं.....समग्र आई.डी.....
- परिवार की समग्र आई.डी.....
- म.प्र. का मूल निवासी (है/नहीं) ..... अगर नहीं तो राज्य स्थान.....
- स्थानीय अभिभावक का पूरा नाम एवं पता (बाहरी अभ्यर्थियों के लिये).....  
.....दूरभाष .....मोबाइल नं.....
- पिता का व्यवसाय.....माता का व्यवसाय.....पति/पत्नी का व्यवसाय.....  
एवं परिवार की सम्पूर्ण वार्षिक आय.....

स्व-प्रमाणित  
पासपोर्ट आकार  
का वर्तमान का  
फोटो चिपकाएँ



17. शैक्षणिक योग्यता:-

परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	वर्ष	विषय	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत
हायर सेकेन्डरी 10+2			जीवविज्ञान / बायोटेक्नालॉजी			
			रसायनशास्त्र			
			भौतिकशास्त्र			
			कुल अंक (PCB)			
			कुल प्राप्तांक (समस्त विषय)			

18. निम्नांकित दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें:-

क्र.	दस्तावेजों का विवरण	सत्यापन			
		अभ्यर्थी द्वारा	स्कूटनी द्वारा	प्रवेश समिति द्वारा (मूल दस्तावेज)	टिप्पणी
1	आवेदन शुल्क- रसीद की मूल प्रति				
2	कक्षा 10 वीं की अंकसूची				
3	कक्षा 12 वीं की अंकसूची				
4	स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (टीसी)				
5	माइग्रेशन प्रमाण पत्र (बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा जारी)				
6	आधार कार्ड				
7	जन्म प्रमाण-पत्र				
8	मूल निवासी प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी / स्व-घोषित)				
9	समग्र आई.डी.				
10	जाति प्रमाण-पत्र आरक्षित वर्ग के लिए (जिला अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी)				
11	वर्तमान वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण-पत्र आरक्षित वर्ग के लिए (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)				
12	यदि लागू हो तो - दिव्यांगता प्रमाण पत्र / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र (जिला कलेक्टर द्वारा जारी) / सैनिक का प्रमाणपत्र				
13	गोप सर्टिफिकेट (यदि वर्ष 2020 से पहले 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की है)				

नोट: सेवारत नियमित शासकीय कर्मचारी को आवेदन-पत्र के साथ निम्न दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

1. नियमित सेवानियुक्ति आदेश।
2. कार्यभार ग्रहण करने का पत्र(ज्वाइनिंग प्रमाण-पत्र)।
3. नियमितीकरण संबंधि आदेश।
4. अनुमति प्रमाण पत्र।

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई सम्पूर्ण जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। यदि इसमें कोई जानकारी अपूर्ण एवं गलत पायी जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है तथा मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

दिनांक..... पिता/माता/पालक के हस्ताक्षर.....

आवेदक के हस्ताक्षर.....

- नोट:- 1. उक्त आवेदन से मेरिट लिस्ट के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में काउन्सलिंग प्रक्रिया द्वारा प्रवेश लिया जा सकेगा, समस्त पाठ्यक्रमों हेतु एक ही आवेदन प्रस्तुत करना है।
2. काउंसलिंग द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के दौरान समस्त मूल दस्तावेजों के साथ, दस्तावेजों की 02 सेट फोटोकॉपी जमा करवानी होगी।

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2020-21  
केवल शासकीय कर्मचारी हेतु वर्ष 2021

1. श्री/श्रीमती.....पद..... नियुक्ति की दिनांक ..... विभाग का नाम .....को पैरामेडिकल तीन वर्षीय डिग्री/द्वि वर्षीय डिप्लोमा/एक वर्षीय प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सहमति दी जाती है।
2. उक्त कर्मचारी को पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रवेश विवरणिका के दिशा-निर्देशों का अवलोकन करने के पश्चात् सहमति प्रदान करता/करती हूँ।

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर  
सील एवं मोबाइल नं.....  
(अधिष्ठाता/जिला प्रमुख/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संचालक)

नोट:- उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधित कर्मचारी विभाग के लिए किस प्रकार से लोकहित में उपयोगी है एवं कर्मचारी के द्वारा सम्पादित किये जाने वाले शासकीय कार्यों में किस तरह उपयोगी है इसका प्रमाण-पत्र संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी/(अधिष्ठाता/जिला प्रमुख/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संचालक) उक्त कर्मचारी को पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रवेश विवरणिका के दिशा-निर्देशों का अवलोकन करने के पश्चात् सहमति प्रदान करता हूँ।

=====

ADMISSION APPLICATION ACKNOWLEDGMENT – 2021

=====

Government Medical College, Ratlam  
Gram Banjali, Sailana Road, Ratlam 457001

Received admission application Form No.....from (Name of applicant)  
.....on (Date).....for admission in Allied  
Health Paramedical Degree/Diploma/Certificate Course for session 2020-21.

Receiver's Signature & Name